MR. SPEAKER: Now, the question is:

"That clauses 2 and 3. the Scedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

12.15 hrs.

IRON ORE MINES AND MANGANESE ORE MINES LABOUR WELFARE CESS BILL AND IRON ORE MINES AND MANGANESE ORE MINES LABOUR WELFARE FUND BILL—*contd.*

MR. SPEAKER: Now, we take up further consideration of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess Bill as also the Labour Welfare Fund Bill. Time already taken is 30 minutes. The balance is 2 hours 30 minutes. Mr. Jharkhande Rai to continue his speech.

Mr. Jharkhande Rai.

श्री झारखन्डे राय (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह बता रहा था कि सभी मजदूरों में खान के मजदूर इस बात के सब से ज्यादा मुस्तहक है कि समाज, राज्य, विभाग और उनका भला चाहने वालों के द्वारा उन के कल्याण के लिए काफी अधिक काम किया जाये। इस दिशा में यह बिल काफ़ी अच्छा कदम बढ़ाता है, इसीलिए मैंने इस का समर्थन किया है। इस पूरे विधेयक की मूल आत्मा स्टेटमेंट आफ़ आबजेक्टस एण्ड रीजन्स में दिये गये केवल एक वाक्य के द्वारा प्रकट होती है, जिसको मैं उद्धृत करता हूं :

"Welfare facilities which are at present being enjoyed by worker in mica, coal, iron ore and limestone and dolamite mines industries are proposed to be made available to workers in manganese mines also."

कुछ सुविधायें, जो कुछ प्रकार के खान-मजदूरों को प्राप्त थीं, उन का विस्तारण मैंगानीज और माइन्ज में किया गया है, इसलिए यह एक प्रगतिशील, वामपक्षी और श्रमिकों के लिए कल्याणकारी विधेयक है। स्वयं मंत्री महोदय ने कल अपने भाषण में कहा कि यह विधेयक मैंगानीज और माइन्ज में काम करने वाले मजदूरों के भले के लिए लाया गया है।

मैं इसको एक वामपक्षी विधेयक मानता हू। इस समय भारतीय राजनैतिक अन्तरिक्ष पर दूर-सुदूर से एक आवाज उठ रही है कि देश में न कोई वामपक्ष है और न दक्षिण पक्ष है—न वाम है और न दक्षिण है। इस बात का प्रचार हिन्दुस्तान के एकाधिकारी पूंजीवादी अखबारों ने पूरे देश में किया है, और लगातार करते आ रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि एक नये प्रकार के मसीहा भारतीय राजनीति के रंगमच पर अवतरित कराये जा रहे हैं। ऐसे अवतरन कराने के कौन-कौन शक्तियां और तत्व काम कर रहे हैं, इस पर पर्दा धीरे-धीरे उठेगा। एक मसीहा श्री जय प्रकाश नारायण को इन पूंजीपति अखबारों ने बनाया और उन्हे चडीगढ जेल में पहुंचा दिया। फिर जसलोक अस्पताल में और फ़िर जीवन के अंतिम कगार पर। अब यही एकाधिकारी पूंजीवादी अखबार "न दक्षिण पंथ और न वाम पथ"

का तथा सारा झगड़ा और प्रचारित कर छेड़कर हिन्दुस्तान में एक नये प्रकार के मसीहा का अवतरण कराना चाहते हैं, उसमें पता नहीं क्या उनका लक्ष्य है और क्या वह कराना चाहते हैं। यह इतिहास और यथार्थ का नकार है। हमारे देश के स्वतन्त्रता संग्राम का पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है कि और स्वयं साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय मोर्चा कांग्रेस का भी इतिहास इस बात का साक्षी है कि दक्षिण और वाम पक्ष की विचारधारा हमारे देश में रही है। वे लोग जो अंग्रेजों के साथ रहते थे, चलते थे, उनका राजा चलाते थे और चाहते थे कि उनका राज यहां बना रहे वे दक्षिण पंथी विचारधारा के लोग थे और कांग्रेस के अन्दर और कांग्रेस के बाहर जो लोग अंग्रेजों का राज यहां नहीं चाहते थे उसकी समाप्ति चाहते थे वे वामपंथी विचार धारा के लोग थे उनमें कांग्रेसी और क्रांतिकारी दोनों थे। हमारे देश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि लोकमान्य तिलक और गोखले से लेकर इंदिरा जी और मोरार जी देसाई तक दक्षिण और वाम का संघर्ष आन्तरिक कांग्रेस में रहा है। इतिहास को झुठलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI RAGHUNATHA REDDY): I hope we are discussing about the Iron Ore and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Bill.

श्री झारखण्डे राय : माननीय स्टीफन साहब ने भाषण देते हुए हमारे साथी चन्द्रप्पन जी पर प्रहार करते हुए इस बात की चर्चा की कि कांग्रेस एक कंसालिडेटेड होल है, इसके अंदर कोई राइट लैफ्ट नहीं है। इस प्रकार की बात करना और जो लोग ऐसा करते हैं ...... (व्यवधान) ......

अध्यक्ष महोदय : झारखंडे राय जी, अब आप बिल पर आइए। स्टीफन साहब ने क्या कहा उसका जवाब आपने थोड़ा बहुत दे दिया, अब बिल पर आ जाइए।

श्री झारखंडे राय : उसी का जवाब मैं दे रहा था। मैं बता रहा था कि इतिहास को झुठलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मेरा केवल इतना ही मतलब था और इतना ही लक्ष्य था। हिन्दुस्तान के पूंजीवादी अखबार इस तरह का प्रयास करते रहे हैं और कर रहे हैं। इससे हमारे देश के हर राजनीतिक दल को विशेषकर शासक दल को और उसके अन्य नेताओं को सावधान रहना चाहिए।

इस बिल में मजदूरों के सहयोग की बात के ऊपर कल भी मैंने चर्चा की थी जो अधूरी रह गई थी कि इस बिल में मजदूरों के सहयोग की गारंटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, विशेषकर उसके प्रबन्ध में उनके भागीदार बनाए जाने की कोई स्पष्ट व्यवस्था जहां तक मैं इसको देख सका हूं इसमें नहीं है। मजदूरों के पार्टिसिपेशन की बीस सूत्री प्रोग्राम में भी चर्चा है और देश में उसके पहले भी इस पर काफी आवाज उठती रही है सदन में भी और सदन के बाहर भी। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि हर तरह की खदान के मजदूरों के विशेषकर जिस जिस प्रकार की खदान के मजदूरों के लिए इसका विस्तारण किया जा रहा है उन सभी प्रकार की खदानों के मजदूरों के प्रबन्ध में पार्टिसिपेशन की पूरी सुरक्षा इस विधेयक में होनी चाहिए।

एक सदस्य ने कल इस पर बोलते हुए कहा कि वे भागीदार कैसे बनाए जाय? उन्होंने इस पर अपनी राय दी। वह राय सही हो सकती है। मैं मजदूरों के ऊपर और मजदूरों की जो मान्यताप्राप्त यूनियनें हैं उनके ऊपर इस बात को छोड़ता हूं कि वह किस तरह से भागीदार होना पसंद करेंगे। यह उन्हीं के ऊपर छोड़ देना अच्छा रहेगा।

[श्री झारखंडे राय]

यह प्रश्न जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कुल मिला कर 80 हजार मजदूरों का प्रश्न है और अगर एक मजदूर के परिवार में पांच व्यक्ति माने जाय तो लगभग चार लाख व्यक्तियों के जीवन यापन का यह प्रश्न है। इसलिए इस दिशा में जो सुविधाएं देने के प्रावधान इस विधेयक में हैं वह जितने भी हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ साथ जिन बातों की तरफ मैंने ध्यान दिलाया है विशेषकर मजदूरों के प्रबन्ध में भागीदार बनाए जाने की पूरी सुरक्षा और गारंटी की व्यवस्था इस विधेयक में सुस्पष्ट होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राम सिंह भाई (इंदौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि कुछ खदानें ऐसी हैं जिनके लिए यह कानून बहुत पहले बन गए हैं, जैसे अभ्रक का 1946 में, कोल माइन्स का 1947 में, चूना पत्थर का 1972 में, और जो माननीय मंत्री जी ने यह बिल पेश किया है कच्चे लोहे और मैंगनीज का यह निहायत जरूरी है, । मैं यह मानता हूं कि अभी भी कुछ ऐसी खदानें छूट गई हैं जिनके लिए भी यह प्रबन्ध किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन वेदना के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि भारत सरकार ने श्रमिकों के हित के लिए इतने अच्छे कानून बनाए हैं कि हम दुनिया के किसी भी देश के कानून को उठा कर देखें उनसे हमारे देश के लेबर लाज बहुत ऊंचे हैं, श्रमिकों को सहायता देते वाले, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए और श्रमिकों को ऊंचा उठाने के लिए, लेकिन देखने में यह आया है कि उनकी अमला व्यवस्था इतनी कमजोर है कि जो सरकार चाहती है वह हो नहीं पाता है।

कोल माइन्स और अभ्रक के श्रमिकों का वेलफेयर फंड कब से जमा हो रहा है? कितना जमा हुआ है? लेकिन थोड़ी बहुत प्रवृत्तियों--और प्रवृत्तियां भी क्या, वेलफेयर के नाम पर सिवाय एक कैंटीन चलाने के और कुछ भी नहीं है। इस फंड के करोड़ों रुपये सरकार के पास जमा हैं। मुझे इस वक्त स्वर्गीय मोहन कुमार मंगलम की याद आती है, जब उनके हाथ में यह पोर्टफोलियो आया तो उन्होंने कोल माइन्स वर्कर्स के लिए वेलफेयर की कुछ शुरुआत की और 1972 में जब चूना पत्थर श्रमिकों के संबंध में बिल आया था तो उस पर मैंने कहा था कि आप कुछ भी करें या न करें कम से कम इन श्रमिकों के लिए जो खानों में काम करते हैं पानी पीने की व्यवस्था अवश्य करें।

अभी आयरन और श्रमिकों के वेलफेयर का बिल यह आया है। मेरे प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। वेलाडीला में सब से बड़ा हिन्दुस्तान का खदान है, राजहरा में भी बड़ी खदान है जिसका सारा कच्चा लोहा भिलाई में आता है और वहां उसका उपयोग होता है। मैं वहां पर गया और एक चीज मैंने वहां देखी कि जो उनको पानी पीना पड़ता है वह पानी वह होता है जो बरसात के दिनो में उन लोहे की खानों से बहकर आता है और जमा होता है। उस लोहे के भारी पानी को पीने से उनकी पाचन शक्ति नष्ट होती जा रही है। जिन व्यक्तियों की पाचन शक्ति खत्म हो जायगी उनकी तन्दुरुस्ती कैसी रहेगी यह सोचने की बात है। चारो तरफ से मेरे पास यही शिकायतें आईं कि कम से कम उन माइन्स में काम करने वाले श्रमिक जहां रहते हैं और जहां वह काम करते हैं, वहां पानी का तो इन्तजाम किया जाय। अभी तो खदानों के अन्दर काम शुरू नहीं हुआ है, अभी तो ओपेन ग्राउण्ड पर ही काम होता है जब अंडर ग्राउण्ड काम होगा तब उनका क्या हाल होगा? लोहे का जो पानी उनको पीने को मिलता है उससे [illegible] वच्चा पानी पीने

लगता है तभी के उसका असर उस पर पड़ने लगता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके जीवन के लिए और कम से कम आपके उत्पादन और एफिश्यैंसी के लिए आपको वहां शुद्ध पानी की तो व्यवस्था करनी ही चाहिए। लेकिन खदानों में मैंने देखा है कि शुद्ध पानी की कोई व्यवस्था नही है परन्तु शराब पीने की व्यवस्था अवश्य है। जहा पर खदान का काम शुरू हुआ वहा पर शराब की दूकानें खुल जाती हैं जब कि ऐसे क्षेत्र में शराब की दूकाने न खोलकर पहले शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आपका जो 1952 का खान ऐक्ट है उसमें आपने सभी व्यवस्था की है कि प्रबन्धकों को पहले पानी को व्यवस्था करनी होगी, स्वच्छता की व्यवस्था करनी होगी और बाथरूम वगैरह नहान-धोने की सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी। प्रबन्धकों को अपने श्रमिकों के लिए कानून के अन्तर्गत यह सारी व्यवस्थायें पहले करनी चाहिए। यहा पर आप जो वैलफेयर का बिल लाये हैं उसमे भी आपने कहा है कि पीने के पानी की व्यवस्था और नहाने धोने इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। आपका जो फैक्टरी ऐक्ट है उसमे भी कारखानों के लिए आपने ऐसा ही रखा है कि जो खाना लेकर आते है उसको रखने की भी व्यवस्था की जायेगी। जो श्रमिक कपडे बदलने है उनके कपडों को रखने के लिए भी अलमारी वगैरह की व्यवस्था की जायेगी खान मे जो श्रमिक निकलने है, जो श्रमिक आयरन ओर की खदान खोदते है उनकी शकल ऐसी हो जाती है कि उसके बाल बच्चे उसको पहचान नही सकते हैं। इसीलिए कानून में रखा गया कि उनके नहाने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और अन्य प्राथमिक व्यवस्थायें की जायेगी। लेकिन इसके बावजूद देखने में यह आया है कि ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। मजदूर खान से निकलकर भूत की सकल में अपने घर जाते है।

इस तरह की बडी बड़ी बातें आपने कही हैं। आपके यह भी कहा है कि श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए वाहन की भी व्यवस्था की जायेगी। वाहन की व्यवस्था की तो बात ही नहीं, मैं तो रास्तों की व्यवस्था की बात करता हूं। एक मजदूर यहा रहता है तो दूसरा मजदूर वहा रहता है। अलग-अलग उनकी झोपड़िया बनी हुई है। बरसात के दिनों में उन मजदूरों को खान के अन्दर पहुचने का रास्ता तक नही मिलता है। जो बिल, कोल माइन्स का बिल और अभ्रक का बिल आप लाये, आपने कानून बनाया, आज से 20–25 साल पहले के श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था की जायेगी। जो खान के अन्दर काम करने वाले श्रमिक है पहले उनके लिए मकानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। भारत का यह सारा माल जो है वह पब्लिक सेक्टर मे आता है। आयरन ओर का ही एक ऐसा क्षेत्र है बेलाडीला जहा का माल आप एक्सपोर्ट करते है जापान को। मै बेलाडीला की बात करू, वह मेरे प्रदेश मे है बस्तर जिले में, वहा पर श्रमिकों को काम पर जाने के लिए एक दो रूटस पर ही बसों की व्यवस्था है और बाकी कही भी कोई व्यवस्था नही है। बैलगाडी से ही आया जाया जा सकता है। वहा से आयरन ओर को जापान भेजने के लिए, जापान की ही सहायता से रेल डाली है लेकिन जो रेल डाली है, वह कच्चा लोहा ढोने के लिए ही है, उस गाडी पर कोई आदमी बैठकर नही जा सकता है। अगर उस गाडी मे श्रमिकों के लिए ही एक आध बोगी लगा दी जाये तो वहा पर काम करने वाले श्रमिक भी आ जा सकेंगे। लेकिन यह बात भी नही है। श्रमिक कल्याण केन्द्र की लगभग 8 करोड से भी अधिक की रकम आपके पास जमा है—आप उस रकम का क्या करेंगे? वह रकम कहीं जाने वाली नहीं है

[श्री राम सिंह भाई]

फिर आप उसकी शुरूआत क्यों नहीं करते हैं। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो आपके पास फंड है, जो आपने वैलफ़ेयर कर के रूप में वसूल किया है उसका उपयोग कम से कम श्रमिकों के रहने की व्यवस्था के लिए ही करें उससे उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें नहाने-धोने की व्यवस्था के लिए करे शौचालय की व्यवस्था के लिए करें। कल एक भाई ने कहा था कि रशिया में क्या होता है। मैं आपको बतलाऊं जो रशिया में होता है वह तो हम नहीं कर सकते। वह मैंने माइन वर्कर्स के सैनिटारियम्ज देखे, इतने सुन्दर थे जिसका कोई हिसाब नहीं। स्वीमिंग पूल बने हुए थे। यह मैंने सिर्फ रशिया में ही नहीं देखा, यूगोस्लाविया में देखा, स्वीडन में देखा। हम दूसरे देशों की बराबरी तो नहीं कर सकते, किन्तु हमारे यहां उनके लिये बाथरूम्ज भी नहीं बनवा सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते है कि टट्टी लगवा कर ही बाथरूम्ज बनवा दे। मैं आपसे निवेदन करूं —1952 में जो खदान एक्ट बना था, उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि महिलाओं के लिये अलग शौचालय बनेंगे, पुरुषों के लिए अलग बनेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

एक चीज जरूर देखने में आई है—खदानों के अफसरों के लिये बड़े अच्छे-अच्छे बंगले बनाये गये है, उनके लिये ट्रांसपोर्ट का, कारों का, ट्रालियों का इन्तजाम किया गया है, उनके लिये सब साधन मुहैया किये गये है, लेकिन जो श्रमिक वहां काम करते हैं, उनके लिये कुछ नहीं है।

ट्रेड यूनियन्ज की यह हालत है, अगर ट्रेड यूनियन का कोई लीडर वहां जायेगा तो उसको गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है, उसको अच्छा खाना दिया जायेगा, पीने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा......

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : वह चमचा बनेगा।

श्री रामसिंह भाई : सही म वह चमचा बनेगा। खदानों में जितनी ट्रेड यूनियन्ज हैं उनको आपस में लड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि यह ट्रेड यूनियन्ज का काम है कि वे वैलफेयर के काम को देखे। लेकिन वहां फुरसत किसको है। मैं भी यही महसूस करता हूं—जो आपकी यूनियन खड़ी करता है, कम से कम उसको अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिये कुछ वैलफेअर की एक्टिविटीज शुरू करनी ही चाहिये। लेकिन देखने में यह आया है कि ये यूनियन्ज कुछ नहीं करती हैं।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बीस सूत्री कार्यक्रम की बहुत जिक्र किया है और कहा है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा अपने संविधान के अनुसार मजदूरों को लाभ देने के लिये ये प्रयत्न किये जा रहे है। मैं निवेदन करना चाहता हू कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसार तो उन्हे और भी बहुत तरह के लाभ दिये जा सकते है, लेकिन ये सुविधायें तो वे सुविधायें है जो हमको पहले ही कानून के अनुसार उनको देनी चाहिये थी। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हू कि आप सबसे पहले इन सुविधाओं की ओर ध्यान दीजिये, जैसे पीने का पानी, नहाने की व्यवस्था, कन्ज्यूमर स्टोर, फेयर प्राइस शाप्स, ताकि हम अपने खदान मजदूरों को खदान के पास ही वाजिब भावों पर आवश्यक चीज मुहिया कर सक। मेरे प्रदेश के ज्यादातर श्रमिक चावल खाने वाले लोग हैं। पिछले साल इतनी कम बारिश हुई कि छत्तीसगढ़ में चावल पैदा नहीं हुआ, वे श्रमिक चावल खाने के लिये तरस गये। वहां पर ऐसे लोग पहुच गये हैं जो तोल में भी मारते हैं, मोल में भी मारते हैं और बोल में भी मारते हैं—तीनों तरह से मारते

रहे हैं। इसलिये आप ऐसा क्यों नही करते कि उनकी सहकारी संस्थाये बना कर इस काम में उनकी मदद करे। यूनियनों के भरोसे न रहिये। बल्कि सहकारी संस्थायें बना कर, उन को जब भी पैसे की जरूरत हो, उनकी मदद कीजिये जो उनके वेतन मे से काटा जा सके। खान के श्रमिकों को आवश्यक वस्तुये उचित दामो पर उनको मिल सके। पहले वहा पठान लूटते थे, अब बनिये लूटते है। डागा जी के यहा के बहुत से लोग आटे की पोटली बाध बाध कर वहा पहुच गये है आटे की पोटली लेकर जाते है और धन की थैली लेकर लौटते है—इनकी रोकथाम होनी चाहिये।

इन शब्दो के साथ मै इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हू।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) अध्यक्ष जी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हू—भारत सरकार के जो श्रम मन्त्री हैं श्रमिकों के प्रति उन की जो निष्ठा है उस की मैं तारीफ करता हू, इस मे कोई शक नही है जब कभी भी वे बोलते है अपने मन की बात कहते है। लेकिन शायद उन्हे यह बात मालूम नही है—कानून किस लिये बनते है ? कानून इस लिये बनते हैं कि अलमारी में रखे जावे और दस लाख रुपया कुछ सरकारी कर्मचारियो को दे दिया जाय। दुर्भाग्य समझिये या सौभाग्य समझिये—मैं भी एक बार लेबर वेलफेयर फड का एडवाइजरी कमेटी का मैम्बर था, जब मै राजस्थान में एम० एल० ए० था। ईमानदारी से कहता हू कि सारी पूजी मजदूरों के हित में न खर्च हो कर बडे बडे जो अधिकारी है उन के लाभ के लिये खर्च होती है। इस ऐक्ट को लीजिये, सेन्ट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड, स्टेट ऐडवाइजरी बोर्ड। कितने मेम्बर होंगे इन में ? कुछ पता नही। पहले ऐडवाइजरी बोर्ड लीजिये। मेंम्बर की क्या क्वालिफिकेशन होगी ? कुछ पता नही। आपने लिखा है कि इक्वल नम्बर आफ मेम्बर्स फ्रोम ऐम्प्लायर्स और लेबरर्स। आज कल एम्पलायर स्टेट हैं आज लोग कहते है कि भारत में प्रजातन्त्र की जडे काफी गहरी जम चुकी है, हम हर आदमी का महत्व समझते हैं। तो आप उस लेबर को उस कमेटी का चेयरमैन क्यों नही बनाते ? लेबर का क्या रोल है ? स्टेट लेविल पर ऐडवाइजरी कमेटी के जितने मेम्बर आते है उन को फर्स्ट क्लास का टी ए०, डी०ए० मिलता है डाक बगलो में रहते है। छोटे छोटे कामों के लिये जैसे पानी की व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की सुविधाये उपलब्ध कराने के लिये स्टेट लेविल पर कमेटी है और उस के बाद सेन्ट्रल ऐडवाइजरी कमेटी है। उस के अदर भी उतने ही मेम्बर। अब आप ने उस में एक औरत मेम्बर को रखा है। एक क्यो ? दो हो जाये तो क्या एतराज है ? स्टेट ऐडवाइजरी बोर्ड अपनी बात को ले कर सेन्ट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड मे जायेगा और सेन्ट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड वह बात हमारे श्रम मत्री को देगा। सेन्ट्रल गवर्नमेंट बिल टैक ऐडवाइस। चाहे तो माने या न माने। सेन्ट्रल गवर्नमेंट पे रिक्वायर। तो वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास आयेगा। इस प्रकार तीन प्रोसीजर बने। चेयरमैन कौन बनेगा ? क्या वह फुल टाइम होगा या नही, और उस में आफिसर कितने होंगे ? अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि छोटे से काम के लिये कितने अफसर बनते है। यहा पर एक वेलफेयर कमिश्नर होगा, एक वेलफेयर ऐडमिनिस्ट्रेटर होगा, एक होगा इस्पेक्टर और फिर और स्टाफ और आफिसर्स। क्या काम करना है क्या परपज है इस के पीछे ? आप देखे कि जितनी कमेटिया की रिपोर्टस आयी हैं उन मे क्या होता है ? एक अखबार मगाते है साप्ताहिक हिन्दुस्तान या बच्चों के लिये "चदा मामा"। तो पहले तो वह अफसर के घर में पढ़ी जाती है और जब पुरानी हो जाती है, फट जाती है तब मजदूरो के लिये रखो जाती है। जिस दिन हम लोग जाते हैं

[श्री मूलचन्द डागा]

या मजदूरो के नुमाइन्दे माननीय राम सिंह भाई जैसे लोग जाते हैं उस दिन रीडिंग रूममें सफाई कर के उन पुरानी पत्रिकाओ को रख दिया जाता है और वहा हमारे मजदूर लोग अखबार पढ़ते हैं। इस प्रकार की वहा हालत रहती है। मेरी समझ में नही आया कि आप लाखों रु० खर्च करने की इस तरह की स्कीमे क्यो बनाते हैं। इस के पीछे परपज क्या है ?

अब आप कहते हैं कि इस से मजदूरों को ही लाभ नही मिलेगा, बल्कि आसपास के एरियाज में जो लोग रहने हैं उन को भी लाभ मिलेगा। आप मेहरबानी कर के लाखों रुपये की दौलत के उपयोग के लिये ठीक से व्यवस्था कीजिये जिस से मजदूरो को सचमुच लाभ मिले। जैसा माननीय राम सिंह भाई ने कहा पहले तो आप वहा कज्यूमर स्टोर्स खोलिये ताकि खाने पीने की चीजे अच्छी और सस्ते दाम पर उपलब्ध हो। जैसा फैक्ट्री ऐक्ट मे नियम है कि मिल मालिक का कर्तव्य है कि पानी की व्यवस्था करे, अच्छी टट्टियो की व्यवस्था करे, रीडिंग रूम की व्यवस्था करें। यह फेसिलिटीज जो लेबर लाज में दी जा सकती थी, उन को वहा से छीन कर आप ने अपने हाथ मे ले ली है, और इस में भी है। यह आप ने क्यो ली ? आप लेबर्स को इकट्ठा कर लीजिये और सारा पैसा उन को दे दीजिये। 10 लाख रु० में तो तीन शानदार कोलोनीज खडी हो जायेगी। और यह बिना मतलब पैसा खर्च होगा। एडमिनिस्ट्रेटर वहा पर कुछ काम करते नही है। जिस दिन हम जाएगे, एक अच्छा घडा भर कर रखेंगे यह दिखाने के लिए कि हम मजदूरो के लिए कितना अच्छा काम करते है। जब मत्री जी जाते हैं या हम जाते है तो अधिकारी लोग गारलैंड से स्वागत करते है और यह दिखाने की कोशिश करते है कि हम अच्छा काम मजदूरो के लिए करते है और हम अपनी रिपोर्ट में लिख देते हैं कि मजदूरों के लिए बड़े लाभ का काम हो रहा है।

एजूकेशन फैसेलिटीज की जो बात है, वे किस को मिलेगी। कालेज वहा से दूर होते हैं और इस से मजदूरो को फायदा नहीं होगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि मेहरबानी कर के आप इतना पैसा मजदूरों के जो बेटे बढते हो उन को दीजिए। इतना सारा पैसा जो हिन्दुस्तान की सरकार मजदूरों के लिए देती है, उस का सही इस्तेमाल नही होता है और मेरा कहना यह है कि उस पैसे के साथ जो खिलवाड किया जाता है, वह न किया जाए। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि आप मजदूरो के लिए अच्छे कन्ज़्यूमर स्टोर्स खोलिये और उन को लोन दीजिए ताकि वे मनी-लैंडर्स के चगुल से बचे। कम इन्ट्रेस्ट पर आप उन को रुपया दीजिए ताकि जो रुपया आप उन के लिए रखते है उस का उपयोग हो।

इस के अलावा मेरा सुझाव यह है कि आप इस में बहुत कम प्रशासन के लोग रखें, तभी उन लोगो को फायदा होगा। आप कहते है कि इस कानून के बनने से और सेस कलेक्ट करने से आसपास के सभी लोगो को फायदा मिलेगा। मैं समझता हू कि इस से मजदूरो का कोई बहुत ज्यादा फायदा नही होगा बल्कि जो अधिकारी लोग है उन को फायदा होगा और इस के अलावा जो मजदूरो के लीडर बन जाते है और अधिकारियो के चमचे बन जाते हैं, उन को लाभ होगा। (व्यवधान).. अन्त में मै यही कहना चाहता हू कि ठीक से काम करने के लिए जो आप मजदूरो की सस्था बनाएं उस मे एकाध अधिकारी से ज्यादा न रखें जिस से मजदूरो के हित की बात हो सके। यह मैंने खुद देखा है कि अधिकारी लोग ज्यादा लाभ उठा ले जाते हैं और इस

एक्ट के बन जाने से मजदूरों को कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा ।

श्री श्रीकिशन मोदी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हू लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हू कि आप अब तक डोलोमाइट, लाइमस्टोन माइका, कोल आदि के बारे में बहुत सारे बिल मजदूरों के बारे में लाए है और पिछली दफा भी मैं ने पूछा था कि क्या मजदूरों के लिए आप के पास कोई स्कीम है, आप के पास कोई प्लान है ।

हमारे लेबर मिनिस्टर साहब एक बहुत चतुर और काम करने वाले व्यक्ति हैं लेकिन मैं यह समझ नही पाया कि ये अलग अलग बिल क्यों ला रहे है । आज जो रुपया इकटठा हो रहा है, उन के अदर 30 या 35 परसेंट के लगभग पैसा एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है और 10, 15 या 20 परसेंट पैसा ही लेबर पर खर्च होता है । बाकी पैसा आप के खजाने के अदर रहता है और इस वक्त वह 10 करोड रुपया है । इस से क्या फायदा है ।

मैं ने पिछली दफा एक निवेदन किया था कि हिन्दुस्तान में माइस के अदर 20 लाख लेबर काम करता है । आप उन 20 लाख मजदूरो की प्लानिंग कीजिए कि उन में से कितने आदमियो को घर चाहिए । ज्यादातर माइस की हालत यह है कि मजदूर जो उन में काम करते हे वे वहा नही रहते है बल्कि गावो में रहते हैं । वे मकान माइस पर बनाना नही चाहते । इसलिए जहा तक मकान का सवाल है, यह एक बहुत छोटी सी समस्या है और इस के आकडे आप को लेने चाहिए कि 20 लाख मजदूरो में से कितने मजदूरो को वहा पर मकान चाहिए । मेरे ख्याल में एक लाख मजदूरो को आपको मकान देने होंगे । मैं यह भी चाहता हू कि उन को मैडिकल फ़ैसेलिटीज देने के लिए और स्कालारशिप देने के लिए आप एक बजट बनाइए कि कितना पैसा उस के लिए चाहिए । बजट बना कर आप यह देखिये कि कितने रुपये की जरूरत है और फिर यह देखिये कि मिनरल्स का आपका कितना उत्पादन है और उस के हिसाब से सैस लगाइए । अगर आप पांच साल की पचवर्षीय योजना या दस-वर्षीय योजना बनाते तो हिन्दुस्तान के मजदूरों को जितनी फैसेलिटीज व चाहते हैं, वे सब मिल जाती ।

एक बात और निवेदन करनी है । सैस कलेक्ट करने के लिए इतनी मशीनरी की जरूरत क्या है ? आप का आइरन-ओर, मेगनीज ओर एक्सपोर्ट होता है । उस के अन्दर आप को डाइरेक्ट पैसा मिलने वाला है । वहा पर आप के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज नही है और बहुत ज्यादा खर्च होने वाला नही है । इसलिए मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हू कि मत्री महोदय जो ये छोटे-छोटे अलग-अलग बिल ला रहे है, इन सब को छोड कर सारे मिनरल्स के लिए एक लेबर वैल्फेयर बिल लाए तो अच्छा होगा ।

एक स्कीम आप पेश करिये और यह बताइये कि आप हिन्दुस्तान के इन बीस लाख मजदूरो को क्या फेसिलिटीज देना चाहते है । हाऊस के अन्दर यह बताइये कि उसमे आपका तखमीना क्या है बजट क्या है । मैं आपसे उम्मीद करूगा कि इनके लिए आप जल्दी से जल्दी दूसरा बिल सारे मिनरल्स, खनिजों को शामिल करके लाऐंगे ।

इसके अलावा मै एक और निवेदन करूगा । लोन्स के लिए आपने दस करोड रुपया रखा है । यह बहुत अच्छी बात है । आप इन मजदूरों को सस्ती ब्याज पर रुपया दीजिए, 7.5 परसेंट की रियायती ब्याज दर पर पैसा दीजिए । इन आयरन मेगनीज के मजदूरो के लिए जो पैसा रखा है उसको इकट्ठा रखने का फायदा क्या है ? आप उनके कल्याण फण्ड में ऐसा पैसा

[श्री श्रीकिशन मोदी]

भी रखिये जिससे मैंगनीज आयरन ओर के मजदूरों के कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को सामने लाया जा सके और उनमें से एक दो बच्चों को विलायत तक पढ़ने के लिये भेजा जा सके। लेबर वेल्फेयर खजाने से आप उनकी ट्रेनिंग के लिए सहायता दे और एक एग्जाम्पल सैट करें।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

SHRI B. V. NAIK (Kangra): Sir, I welcome this Bill. In order to avoid embarrassment at the clause-by-clause consideration stage when I might have to move an amendment, I would like to come to the point straightway so that in his reply to the general discussion itself, the Minister may be kind enough to indicate his mind whether the existing provisions are adequate to meet the requirement stipulated in my amendment to the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Bill and my amendment is redundant. On the other hand, if he feels that these amendments on the basis of grass root study are necessary, he may accept them. If not, he can convince me. My amendment is to the definitions clause which says:

"(h) a person is said to be employed in an iron ore mine or manganese ore mine—

(1) if he is employed within the premises or in the vicinity of such mine by the owner, agent or manager of such mine or by a contractor or any other agency exclusively in any one or more of the following, namely,"....etc.

In view of the fact that the export of iron ore or manganese ore has developed phenomenally in the course of the last 10 or 15 years particularly along the western coast, I have suggested an addition to this proviso, which reads thus:

"If he is engaged in port operations in the export of iron ore or manganese ore from any of the major medium and minor ports in the territory of the Indian Union."

I have seen it with my own eyes. There are about three or four medium ports working on the west coast, in the area where I come from. Next to that is the Goa port which exports about half a million tonnes of iron-ore. The conditions of the people who work on the docks, who work with the stevedors, who are engaged in loading on the barrages, are exactly the same as those of the workers who are working in the mines. I see no reason why these people should not be considered equivalent to the people who work in offices, canteens and creche in the precincts of such mines. If a bearer in a hotel can get the benefit of this scheme, I see no reason why somebody who puts in hard labour by working in the docks and is as much involved in the mineral operations as anybody else, should not be benefited. More so, these are the people who are more susceptible to tuberculosis. I would, therefore, suggest that these people should also be included in that category. There are a large number of them on the ports. I hope, the Minister will give a sympathetic consideration to that.

It would be too much to expect that the people who are involved in the transportation of iron-ore and manganese ore should be benefited. Some of the ports get about 300 trucks daily. I think, that amount of flexibility in general terms, should be there.

The heart of the administration lies in promising less and performing more. According to the Bill, they are going to be provided with sanitary facilities, reading rooms, educational facilities, recreational facilities, health facilities, residence, public health provision, water supply facilities, transport, the list is unending. The fact is that

the Minister has got Rs. 3½ crores at his disposal. He expects Rs. 1.07 crores out of this present Bill. I would suggest if you really want to give them the benefit, free them from the clutches of money-lenders. Give them loans without interest, liquidate their loans. Your administrative charges will be very low. Only half a per cent will be sufficient. Or take Rs. 5 lakhs and subsidise them. I think, these are again the problems which we have been inheriting from the western democracies. It is probably thought that simply because in the UK, USA or West Germany it is done, we should do it. I have no inhibitions about it. I would say that we cannot afford that level of social welfare, even though the Minister has repeatedly told us about the welfare State. Some how, the word 'socialism' is not used. I would say that this single point of liquidating their debt will go a long way. Thereafter our Mr. Ram Singh Bhai will launch his temperance movement; and the rest of the things will come in. The industrial scene in India, more particularly the mineral and the mining scene in India is compounded of three factors. One factor is the irresponsible capitalist approach. We know, in regard to the biggest tax-payer in India to-day, as to what he was 30 years back, say in the year 1939 or 1940. Now within about 30 years, he has emerged as the biggest tax-payer; but he has earned all this money through the sweat on the brows of iron ore and manganese ore workers. Therefore, we have an irresponsible capitalist structure and a supine trade union movement and in between these two, the State—with good intentions, because the road to hell is paved with good intentions—which plays Cinderella but is not very effective. I hope the progressive and well informed Minister will be able to do something realistic and help the labour and trade union movement—but not on the foundation of dreams.

SHRI CHAPALENDU BHATTACHARYYIA (Giridih): Mr. Speaker, Sir, I welcome this bill whole-heartedly. In fact, it was overdue. The concept of welfare for the mining population had started with coal. The coal mines welfare organisation, its activities, its amplitude of operations, its successes and its failures are the guidelines. These organizations have also to avoid its pitfalls. in the coming years. In the context of our perspective plan, the production of iron ore and of manganese ore are going to increase tremendously So also the mining population. And it is only right and proper that the iron ore and manganese ore workers have been lumped together, because their fortunes and their production fluctuate, more or less. They are correlated. The iron ore mines, as also the manganese mines are in various States of our country, *viz.*, Bihar, Orissa, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka and Maharashtra. The Bhandara district of Maharashtra and the Srikakulam district of Andhra Pradesh, for example, are districts inhabited mostly by Adivasis and Harijans. Some of them are sensitive areas The point which I would like to press again and again on the Minister of Labour through you, Sir, is that we should not lose any time in expanding the welfare activities in these regions at one go. What has raised certain doubts in our minds is that in Section 13(2) of the bill it is said:

(a) The amount collected as cess, under the Act repealed by sub-section (1), shall be credited to the Consolidated Fund of India.

(b) The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, credit to the Fund....."

[Shri Chapalendu Bhattacharyyia]

Now about the volume and quantum of welfare activities. The major difficulty faced by the coal mines welfare fund and the mica welfare fund is that these funds, being part of the Consolidated Fund of India, have been used more often as a budgetary support rather than for ameliorating the conditions of the workers and for providing them with the widest amplitude of welfare activities at the earliest.

Then, the pattern of welfare activities is known—central hospital the regional hospitals, the community project hospitals where education and some treatment goes on, the schools, the scholarships and stipends. More than that, what is necessary is that the women workers and the wives of the mine workers must be activised through a large organisation of *sevikas* so that during their spare time they have a newer dimension in their existence.

The question of acute shortage of water has been well made. The Coalmines Welfare Organisation goes in for 70' deep and 10' diameter wells. Why not go in for 20' diameter and 40' deep wells where water table is right. That will have a multi-purpose effect in the villages from which the labourers or miners come. It will help them with drinking water supply and also irrigation for agriculture which will give general support to the economy of the region.

It is absolutely urgent and necessary that these workers have some recreation in agriculture in order to help them, to shield them, from the incidence of occupational diseases. I find that one industry has been left out, and that is the copper mines. The largest number of silicosis patients you will find in copper mines, in our State of Bihar, particularly in Singhbhum, where the TB hospitals had to be expanded continuously. In these industries, in order to save these workers from the incidence of microbeal diseases, water-borne diseases and the occupational diseases, these welfare organisations have to make a different approach altogether. Domiciliary treatment is not enough; the preventive aspect is the crux of the matter. For that what is required is that mobile X-ray clinics should visit these areas and the workers should have their X-rays done automatically, regularly every second or third month, so that the preventive aspect gets greater prominence, greater importance and greater weightage than it has received so far.

The difficulty has been that we start with great expectations, but these organisations, which should have been a movement, slowly start becoming a department and start stagnating. I hope that under the energetic leadership and drive of Shri Raghunatha Reddy, they will get out of the slough of despondency and stagnation, and go and work meaningfully among the workers to bring a new quality in their life.

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI RAGHUNATHA REDDY): I am extremely gratefuly to all the hon. Members who have participated in the debate on this Bill and also made very valuable suggestions with regard to the way in which the fund will have to be administered and welfare activities will have to be taken up

13.00 hrs

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

I do not share the disheartening note that has been struck by my good friend Shri Daga or Shri Ramjibhai Varma or Shri R. N Sharma In the process of administering the various welfare measures and the activities that would arise out of the administration of this fund, most of the suggestions that have been made by my hon. friends would be taken into ac-

count and as far as possible, we will try our best to implement them

As far as the cess that has been collected with regard to the iron mines is concerned, hon. Members are fully aware that a number of hospitals have been constructed and various medical and welfare facilities have been provided I need not go into the details With regard to dolomite also, though Shri R N Sharma struck a very disheartening note, fortunately the facts are otherwise because a number of hospitals, also mobile hospitals, and welfare measures have been undertaken I do not think I should repeat all that here for the sake of argument

It has been stated that there must be a common welfare fund for all the minerals Though the National Commission on Labour had no doubt made this point, it may not be possible immediately to constitute such a fund, but at least iron and manganese go together, and that is the reason why, in pursuance of the recommendations of the National Commission on Labour and in line with the suggestions of the hon Member, we have made a beginning I do hope that in course of time, if the situation permits, if the economics of combining all the welfare funds is feasible this aspect of the question will be considered I can give this assurance to the hon Members

My good friend, Shri B V Naik though I do not want to go into theoretical aspects made a very indirect accusation against me that I had not used the word "socialism" and only used the words Welfare State He knows that there cannot be any socialistic economic structure or a Socialist State without having the elements of Welfare State or all the characteristics of a Welfare State A Socialist State certainly includes all the characteristics of a Welfare State Therefore, in that context I used the expression "Welfare State", not in contradiction with a Socialist State Therefore, the concept of a Socialist State is comprehensive enough to include a Welfare State So, I do not think he need have any doubt Though "Welfare State" within the context of a capitalist economic structure cannot be synonymous with a Socialist State a socialist State *per se* must have all the elements of a Welfare State In that context I used that expression, and this legislation is in pursuance of the achievement of such a Welfare State within the context of a Socialist State

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore) You must hold a class for him

SHRI RAGHUNATHA REDDY Though I do not want to be impertinent if my friend wants I am prepared to conduct a refresher course for Shri Dinen Bhattacharyya

With regard to Shri Naik s amendment, I may point out that this legislation is confined to those who are engaged in extracting work that this is with regard to mining operations and not with regard to port operations

In regard to port operations, naturally there are several other laws that govern the conditions of working conditions of health and other welfare activities Therefore, I do not want to mix up these two things Therefore with great respect I may say that the intension seems to be very laudable But I must say with great respect that these port workers are governed by various other welfare measures which are applicable to the Port and Dock workers I hope you would kindly pardon me if I am not in a position to accept this amendment, and with great regret I have to differ from him

[Shri Raghunatha Reddy.]

This is a very good Bill which has been commended approved and welcomed by all the sections of the House, though various suggestions have been made. With regard to the Advisory Committee again there will be a very disheartening note. The Advisory Committee consists of members of the management, members of the trade union, and I do not know why some of the Members felt that why we should include lady members. I thought, I hope and I feel that there should be not only one lady member but a number of lady members in this committee. They understand matters much better than their counter-parts. Therefore, as far as the Advisory Committees are concerned, it is always felt that there should not be, what is called, a bureaucratic approach to the administration of welfare fund. That is why, popular participation by way of Advisory Committees has been brought in, and only representatives from the workers' side would be the leaders of the trade unions. If they doubt the working of the Advisory Committees, I am afraid, they are not paying tributes to themselves.

With these words, I more that the Bill be taken into consideration and approved by the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on iron ore and manganese ore for the financing of activities to promote the welfare of persons employed in the iron ore mines and manganese ore mines and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for the financing of activities to promote the welfare of persons employed in the iron ore mines and manganese ore mines, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess Bill.

The question is:

"That Clauses 2 to 14 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up the clauses of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Bill.

Mr. B. V. Naik is not here. Mr. Ram Singh Bhai, are you moving the amendment?

SHRI RAM SINGH BHAI: No, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clauses 2 to 12 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 12 were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.08 hrs.

MOTION RE. SUSPENSION OF PROVISO TO RULE 66 IN RELATION TO BEEDI WORKERS WELFARE CESS BILL AND BEEDI WORKERS WELFARE FUND BILL.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion to suspend proviso to Rule 66.

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI RAGHUNATHA REDDY): I beg to move:

"That this House do suspend the proviso to Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration and passing of the Beedi Workers Welfare Cess Bill, 1976 and the Beedi Workers Welfare Fund Bill, 1976."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Can you explain why do you want the proviso to this rule to be suspended?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: Both these Bills would constitute a common subject. Therefore, when the hon. Members speak, one cannot make a speech separating these two Bills. That is why it would be useful if both the Bills are taken up together.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is no good excuse at all. I will help you. When one Bill is dependent on another, unless the first Bill is passed and assented to by the President, the second Bill cannot be taken up. Now, you want both the Bills to be taken up together. That is why you want the suspension of the rule. I half suspected that you did not know the reason. That is why I wanted you to explain why you want this rule to be suspended.

The question is:

"That this House do suspend the proviso to rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motions for taking into consideration and passing of the Beedi Workers Welfare Cess Bill, 1976 and the Beedi Workers Welfare Fund Bill, 1976".

The motion was adopted.

13.10 hrs.

BEEDI WORKERS WELFARE CESS BILL

AND

BEEDI WORKERS WELFARE FUND BILL

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI RAGHUNATHA REDDY): Sir, I beg to move:*

"That the Bill to provide for the levy and collection, by way of cess, a duty of excise on tobacco issued for the manufacture of beedi, be taken into consideration."; and

"That the Bill to provide for the financing of measures to promote the welfare of persons engaged in beedi establishments, be taken into consideration."

The conditions of work prevailing in the beedi industry had been criticised by the Royal Commission on Labour

---

*Moved with the recommendation of the President.